न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 02/2010 (उदयपुर डिक्री)

1. जीवा पिता लखा जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द मृतक के बजाय :–

1/1. रूपलाल पिता जीवा जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. भूरीलाल पिता जीवा जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/3 श्रीमती एजीबाई पत्नी कमल जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. प्रकाश पिता कमल जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. राकेश पिता कमल जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. दीपक पिता कमल जी डांगी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती एजीबाई पत्नी कमल जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2. माना पिता लखा जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द मृतक के बजाय :–

2/1. श्रीमती पुष्पा बाई पुत्री माना जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. श्रीमती सरसी बाई बेवा माना जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. मांगीलाल पिता माना जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. माधवलाल पिता माना जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3. मेघा पिता लखा जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

4. चन्दा पिता लखा जी डांगी, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

5. छगा पिता देवा जी डांगी, निवासी सबलपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

6. गणेश पिता परथा जी डांगी, निवासी सबलपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

7. मोहन पिता परथा जी डांगी, निवासी सबलपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती खेमणी परथा जी डांगी, निवासी सबलपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. ख्यालीलाल पिता भूरा जी डांगी, निवासी नाई, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. चेनराम पिता भूरा जी डांगी, निवासी नाई, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
11. रामलाल पिता भूरा जी डांगी, निवासी नाई, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती कन्नी बेवा भूरा जी डांगी, निवासी नाई, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. भंवरसिंह पिता जनकसिंह जी, निवासी गोविन्द भवन, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती धमेन्द्र कुंवर बेवा जनकसिंह जी, निवासी गोविन्द भवन, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
5. विजयसिंह पिता राव मनोहरसिंह राजपूत, निवासी गोविन्द भवन, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
6. अनिल कुमार पिता भंवरलाल दलाल, निवासी नाई, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. अनिल कुमार पिता नानालाल नागौरी, निवासी नाई, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. पवन कुमार पिता हीरालाल भण्डारी, निवासी नाई हाल 337, ए–मास्टर कॉलोनी, चरक मार्ग, महावीर मेडिकल के पास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय

एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा

दिनांक 30.11.2009 प्र.सं. 711/02

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री कन्हैयालाल लोढ़ा अभिभाषक रे.सं. 6, 7, 8

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. 1, 2

———:::———

निर्णय दिनांक 14—11—2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बेदला में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 34 स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 966/11 एवं 966/5 किता 2 रकबा 49 बीघा हैं। उक्त आराजियात वादीगण ने राव मनोहरसिंह जी पॉवर ऑफ एटोर्नी श्रीमती दुर्गा कुंवर, श्रीमती समुद्र कुंवर बेवा रघुनाथसिंह, माधोसिंह, जनकसिंह, विजयसिंह पिता राव मनोहरसिंह से अलग—अलग विक्रय पत्रों से दिनांक 22—11—1974 को क्रय की है, जिसके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उक्त आराजियात पर दिनांक 07—09—1968 से पूर्व का वादीगण का कब्जा होने से दिनांक 22—11—1974 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है। तब से वादीगण मालिकाना हक से काबिज चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में से आराजी नंबर 1792, 1793, 1794, 1797, 1798 कुल किता 5 रकबा 0.62 हैक्अर भूमि वादीगण प्रत्येक 1 से 4 जीवा, माना, मेघा, चन्दा पिता लखा जी डांगी तथा आराजी नंबर 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 वादीगण परथा, जगा पिता देवा द्वारा भारती आदि को बेह करने से भारती आदि के नाम पर दर्ज हुई, लेकिन विक्रय आराजी नंबर 1776, 1777, 1778, 1795, 1796, 1797, 1780, 1781, 1782, 1783, 1803, 1804, 1806 वादीगण को बिना सूचना दिये बिना किसी आधार के बिलानाम दर्ज कर दी गयी, जो गलत है तथा आराजी नंबर 1774, 1775 अनिल कुमार पिता भंवरलाल दलाल, अनिल कुमार पिता नानालाल नागौरी, पवन कुमार पिता हीरालाल भण्डारी के नाम 1/2 हिस्सा बिना किसी अधिकार के दर्ज कर दिया गया है। उक्त आराजियात बिलानाम दर्ज कर देने से पटवारी हल्का द्वारा नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जा रही है, जबकि वादीगण का नाजायज कब्जा नहीं होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के

आधार पर है। अतएवं निवेदन किया कि मौजा बेदला की आराजी नंबर 1776, 1782, 1783, 1804, 1806 का वादीगण जग्गा पिता देवा, गणेश, मोहन पिता परथा, खेमला बेवा परथा, ख्यालीलाल, चेनराम पिता भेरा व श्रीमती कन्नीबाई बेवा भूरा डांगी तथा आराजी नंबर 1777, 1781, 1795, 1796, 1803, 1799 का वादीगण जीवा, माना, मेघा, चन्दा को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी नंबर 1774 व 1775 के आधे हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 हैं अन्य आराजियात बाबत् उन्हें जानकारी नहीं है, वादीगण प्रमाणित करे। साबिक आराजी नंबर 966/1 व 966/5 का हाल पैमाईश में नये नबंरों का रकबा मिलान खसरा वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। आराजी नंबर 1774 व 1775 के आधे हिस्से हिस्से में वादी संख्या 1 से 4 का आधा हिस्सा तथा परथा, छगा पिता देवा का दर्ज थे, जिसमें से परथा, छगा पिता देवा ने अपना आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 को दिनांक 12–12–1991 को जरिये रजिस्डर्ट विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया है, तब से उक्त भूमि के आधे हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 मालिक काबिज चले आ रहे हैं। वादी संख्या 5 से 8 को उजर उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा भूमियों का रजिस्टर्ड विक्रय प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 के पक्ष में कर दिया गया है इसलिए वे एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित हैं। अन्य आराजियात से प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 का कोई सम्बन्ध नहीं है। विशेष कथन में निवेदन किया कि आराजी नंबर 1774 व 1775 में आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया है तथा राजस्व रेकार्ड में उसका अंकन है, जिसका सहखातेदारों के मध्य बंटवाड़ा कराया जावे। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 के विरूद्ध जो गलत दावा पेश किया है, जिसका हर्जा–खर्चा 10,000/– रूपये वादीगण से प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 को दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवावदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 सही नहीं होने से स्वीकार नहीं है। साबिक आराजी नंबर 966/11 व 966/5 कुल किता 2 रकबा 49 बीघा बताया है जो गलत है। शेष तथ्य वादीगण साबित करावें। साबिक रेकार्ड में जो भूमि खातेदारी थी वह विक्रय पत्र अनुसार क्रेताओं के नाम दर्ज

की गयी है। जो भूमि सीलिंग सरप्लस में बिलानाम दर्ज हुई वह भूमि साबिक के मुकाबले हाल रेकार्ड में भी बिलानाम दर्ज की गयी है, जो सही है। भूमि रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है इसलिए नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जा रही है। वाद बेबुनियाद होने से खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाबदावे का जवाबुल जवाब भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि वादीगण के नाम विक्रय पत्र के आधार पर भूमि अंकित की गयी है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्वीकार किया है। यदि कोई भूमि सीलिंग सरप्लस में गयी है तो वह गलत है, क्योंकि सीलिंग का अगर कोई प्रकरण चला है तो उसकी वादीगण को कोई सूचना नहीं दी गयी है, न ही वादीगण को पक्षकार बनाया गया है, न ही वादीगण की विवादित भूमि सीलिंग में आती है, क्योंकि वादीगण का कब्जा दिनांक 07–09–1968 से भी पहले का होकर उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 22–11–1974 को भूमि क्रय की गयी है। यदि सीलिंग की कार्यवाही का कोई आदेश हुआ है तो उसे वादीगण पाबन्द नहीं है तथा उक्त आदेश वादीगण के मुकाबले बेअसर व शून्य है। भूमि गलत रूप से बिलानाम दर्ज की गयी है, जिसे वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 6 तनकियात कायम की :–

1. आया वाद वादीगण द्वारा साबिक आराजी न ंबर 966/1 व 966/5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22–11–1974 को क्रय की गयी है एवं इससे दिनांक 07–09–1968 से पूर्व का कब्जा होने से वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण के पक्ष में होने से खातेदार काश्तकार हैं ? ..... वादीगण
2. आया वाद वाद में दिनांक 07–09–1968 से पूर्व का कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार होने से खाते दर्ज कराने का अधिकारी है ? ..... वादीगण
3. आया वाद में वादीगण आराजी नंबर 1776, 1782, 1783, 1804, 1806, 1777 से 1781, 1795, 1796 एवं 1803 बिलानाम को

वादीगण के कब्जे काश्त में होने से खातेदारी की घोषणा कराने व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण

4. आया वाद में प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 को आराजी नंबर 1774, 1775 खातेदार वादी संख्या 1, 2, 3, 4 का आधा हिस्सा परथा, छगा पिता देवा का आधा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12–12–1991 को क्रय करने से खातेदार काश्तकार होकर काबिज हैं ? ..... प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10

5. आया वाद सीलिंग सरप्लस में बिलानाम दर्ज हुई है वह भूमि साबिक के मुकाबले हाल रेकार्ड में भी बिलानाम दर्ज की गयी है ? ..... प्रतिवादी संख्या 1, 2

6. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के सुनने के पश्चात् साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30–11–2009 से वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–01–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6, 7, 8 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल लोढ़ा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन को रेकार्ड पर लिया गया तथा दौराने कार्यवाही अपीलान्ट संख्य 1 व 2 की मृत्यु हो जाने से उनके कायम मुकाम रेकार्ड पर लिये गये।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्षी की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को बिना समझे एवं बिना माईण्ड एप्लाई किये निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं गवाहों के बयानों को पढ़े बिना निर्णय पारित किया है, जबकि वादीगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से अपना वाद को साबित कराया है। स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाबदावे की कलम संख्या 6 में वादीगण के कब्जे को स्वीकार किया है तथा कथन किया है कि नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। कानूनी प्रावधान अनुसार विरोधी पक्ष द्वारा तथ्यों को स्वीकार कर लिये जाने से उसे साबित कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रतिवादी संख्या 8 से 10 ने वादीगण का आधा हिस्सा माना है, जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर कोई गौर नहीं किया गया है कि तहसीलदार द्वारा नाजायज कब्जे की कार्यवाही कर बेदखल करना चाहते हैं, जिस पर वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–01–2004 को आदेश जारी कर विवादित भूमि से कब्जा नहीं हटाये जाने का आदेश दिया है, जो वाद के निर्णय तक कायम रहा है, जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर कब्जा अपीलान्ट/वादीगण का है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध करने में भूल की है। वादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश किया है, जिसे किसी ने मना नहीं किया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने यह कहकर कि वादीगण द्वारा कब्जा साबित कराने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं इस आधार पर तनकी नंबर 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर दी। वादीगण के कब्जे के ठोस साक्ष्य होते हुए एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के कब्जे को मानने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 2 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध कर दिया गया है। तनकी नंबर 1 व 2 के विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 3 का निर्णय भी वादीगण के विरूद्ध कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 4 प्रतिवादी संख्या 8 से 10 के पक्ष में निर्णित की है। इसी आधार पर तनकी नंबर 1 से 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाना

चाहिए था। तनकी नंबर 5 जिसे साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर था उसे यह कहकर कि तनकी नंबर 1 से 3 वादीगण के विरूद्ध तय की गयी है इसलिए इस तनकी के विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में प्रकरण को समझे बिना निर्णय पारित करने में भूल की है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का निर्णय करते समय उक्त तनकी में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व पूर्व के कब्जा होने से खातेदारी अधिकार दिये जाने के सन्दर्भ में यह विवेचन कर यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर दी कि वादीगण ने कब्जा साबित नहीं करवाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने पंजीकृत विक्रय पत्रों पर प्लीडिंग्स व तनकी के सन्दर्भ में कोई विवेचन नहीं किया है। प्रकरण में जहां तक कब्जे का प्रश्न है, इस न्यायालय में भी अपीलान्ट द्वारा उनके विरूद्ध की जा रही नाजायज कब्जे की कार्यवाही के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तथा तहसीलदार द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/ वादीगण के कब्जे को स्वीकार किया गया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों के विपरीत जाकर फाईडिंग दी है तथा वादीगण का कब्जा नहीं होना मानकर उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर दी है, जबकि कब्जे के अतिरिक्त पंजीकृत विक्रय पत्रों पर भी अधिनस्थ न्यायालय को अपनी फाईडिंग देनी चाहिए थी। तद्नुसार तनकी नंबर 1 पुनः अन्वेक्षणा की अपेक्षा रखती है।

प्रकरण में जहां तक तनकी नंबर 2 का प्रश्न है, उक्त तनकी पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय औचित्य पूर्ण है, क्योंकि हाल ही में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 30–08–2018 को अपने पूर्ण पीठ के निर्णय में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने का न्यायिक अभिमत व्यक्ति किया है, तद्नुसार तनकी नंबर 2 के निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जाना हम नहीं पाते हैं।

प्रकरण में जहां तक तनकी नंबर 3 का प्रश्न है, जो तनकी नंबर 1 की अनुगामी है, उसे भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है, जिसे तनकी नंबर 1 पर पुनः निर्णय पारित किये जाने के आधार पर तनकी नंबर 3 पर भी पुनः अन्वेक्षण की आवश्यकता है।

तनकी नंबर 4 के सन्दर्भ में अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गयी है, इसलिए इस तनकी पर कोई विवेचन करना हम उचित नहीं समझते हैं।

प्रकरण में जहां तक तनकी नंबर 5 का प्रश्न है, यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जिम्मे थी, जिसे प्रतिवादी को प्रमाणित कराना था। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी के सम्बन्ध में सिर्फ इतना लिखा है कि तनकी नंबर 1 से 3 वादीगण के विरूद्ध निर्णित हो जाने से इस तनकी के विवेचन की आवश्यकता नहीं है, जबकि प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का प्रमुख आधार यह था कि भूमि सीलिंग सरप्लस के रूप में बिलानाम दर्ज हुई है, जो प्रकरण में मूल विवाद का बिन्दु है। इस न्यायालय में भी अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उसके अनुसार सीलिंग प्रकरण के सन्दर्भ में पुनः कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन भी है। तद्नुसार इस तनकी के सन्दर्भ में विवेचन किये जाने से तनकी नंबर 1 पर भी पुनः रोशनी आने की संभावना रहती है। तद्नुसार तनकी नंबर 5 पर भी अधिनस्थ न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं :–

1. आर.बी.जे. (11) 2004 पेज 329
2. आर.बी.जे. (5) 1998 पेज 104
3. आर.आर.टी. 2006–07 (Supp.) पेज 429
4. डी.एन.जे. 2015 (सुप्रिम कोर्ट) पेज 169

उक्त न्यायिक नजीरें आदेश 20 नियम 5 जा.दी. से संबंधित है, जो इस प्रकरण से सुसंगत हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 5 का निर्णय नहीं किये जाने से निर्णय अंतिमता तक नहीं पहुंच पाया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय उक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में त्रुटि पूर्ण है तथा पुनः निर्णय का मोहताज है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 2002 (9) पेज 66 प्रस्तुत की है, जो धारा 88 के सन्दर्भ में है, जो पंजीकृत विक्रय पत्रों से खातेदारी घोषणा बाबत् है, इस पर भी सुसंगतता प्रतीत होती है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 का निर्णय त्रुटि पूर्ण पारित किया है, जिस पर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत पुनः अन्वेक्षण की आवश्यकता है एवं तनकी नंबर 1 के निर्णय के आधार पर ही तनकी नंबर 3 पर भी पुनः निर्णय किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार तनकी नंबर 5 पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय ही पारित नहीं किया गया है जो आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के प्रतिकूल है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2009 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपर किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में विधि के आलोक में पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–01–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भैरा के बजाय भग्गा पिता भैरा डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**91 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**17**.....माह.....**04**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**....माह.....**07**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेन्द्र सोनी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री पंकज भटनागर.....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–04–2013 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**.....माह.....**07**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।